प्रस्ताव आंमत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आलमबाग, कैसरबाग, रायबरेली, अवध, चारबाग एवं उपनगरीय डिपो अमौसी तथा क्षेत्रीय कार्यशाला गोमतीनगर की सुरक्षा हेतु डण्डाधारी सुरक्षागार्ड एवं कैश रूम की सुरक्षा हेतु बन्दूकधारी गार्ड की आपूर्ति करने के लिये निम्नलिखित अर्हता पूर्ण करने वाली संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। संस्थायें उपरोक्त यूनिटों की सुरक्षा के लिये प्रस्ताव दे सकती है। यूनिट/डिपो/बस स्टेशनो पर सुरक्षागार्डों की आपूर्ति राउन्ड–द–क्लाक (शिफ्टवार) निम्न चार्ट अनुरूप प्रस्तावित है:–

कमांक	डिपो/बस स्टेशन का नाम	सुरक्षागार्ड (डण्डाधारी)	सुरक्षागार्ड (बन्दूकधारी)
1	चारबाग बस स्टेशन	5X3=15	0
2	कैशरूम चारबा/आलमबाग बस स्टेशन	0	2X3=6
3	कैसरबाग बस स्टेशन	10X3=30	0
4	कैसरबाग डिपो कैश रूम	0	2X3=6
5	कैसरबाग डिपो कार्यशाला	1X3=3	0
6	अवध डिपो कार्यशाला	1X3=3	1X3=3
7	बस स्टेशन एवं कार्यशाला, रायबरेली	2X3=6	1X3=3
8	उपनगरीय एवं चारबाग डिपो कार्यशाला	1X3=3	0
9	क्षेत्रीय कार्यशाला, गोमतीनगर	1X3=3	1X3=3
10	क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लखनऊ	2X3=6	0
	(अधिकतम सुरक्षागार्ड उपयोग प्रतिमाह)	23X3=69	7X3=21

प्रस्ताव में भाग लेने हेतु संस्था की वांछित अर्हताएं एवं शर्ते

1– सुरक्षाकार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों की आयु 25 से 45 वर्ष के मध्य हो।
2– सुरक्षा कार्मिकों का पुलिस सत्यापन, संस्था द्वारा आपूर्ति से पूर्व कराया जाना अनिवार्य होगा।
3– संस्था का पंजीयन एवं संस्था के पास पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी होना अनिवार्य होगा।
4– संस्था पुलिस विभाग में पंजीकृत होना एवं एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से किया गया हो।
5– संस्था का चयन होने पर आपूर्ति किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों को संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र एवं नाम पटिटकावाली वर्दी (जूते सहित) में होना अनिवार्य होगा।
6– सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा सुरक्षा गार्ड/गनमैन सुरक्षा कार्मिकों की मासिक दरें सेवाकर सहित स्पष्ट रूप से धनराशि सहित अंकित करनी होगी, दरें स्पष्ट न होने की दशा में प्रस्ताव पर समिति द्वारा कोई विचार नही किया जायेगा। फर्म का सर्विस टैक्स विभाग में पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा तथा सेवाकर विभाग में नियमानुसार सेवाकर जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा। फर्म को संस्था के पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7– संस्था का टर्न ओवर कम से कम रू0 50 लाख होना अनिवार्य होगा तथा वित्तीय क्षमता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8– सुरक्षा एजेन्सियों को अन्य विभाग अथवा निगमों में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
9– सुरक्षाकर्मी सामान्य रूप से स्वस्थ, हष्ट–पुष्ट एवं शारीरिक गठन उपयुक्त हो तथा लम्बाई कम से कम 5 फुट 6 इंच हो तथा डयूटी के समय सुरक्षा गार्ड के पास सी0टी0 एवं डण्डा (डण्डाधारी गार्ड के पास) /शस्त्र (बन्दूकधारी गार्ड के पास) के पास होना अनिवार्य होगा।
10– प्रस्ताव के साथ " क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र" के नाम से देय रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
11– कार्य की अवधि, उपभोग की तिथि से दिनांक 31.03.2018 तक है।
12– आई0एस0ओ0 प्रमाणित संस्थाओं को वरीयता प्रदान की जायेगी। आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्र वाली संस्थाओं को आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

13– बस स्टेशनों व कार्यशाला की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कार्मिकों का ई0पी0एफ0 जमा किये जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

वांछित अर्हताएं एवं शर्तो को पूर्ण करने वाली संस्थाएं दिनांक 3–5–2017 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, 06 सप्रु मार्ग, लखनऊ में समय 11:00 बजे से 14:00 बजे के मध्य प्रस्ताव एवं वांछित प्रमाण–पत्र बंद लिफाफे में टेण्डर बाक्स में डाल सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, उसी दिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष समय 15:00 बजे खोले जायेंगे। प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय का अधिकार सक्षम क्षेत्रीय समिति का होगा तथा उसके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम/सर्वमान्य होगा।

(ए0के0 सिंह)
क्षेत्रीय प्रबंधक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक
उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

पत्र सं0 3563 ल0क्षे0/क्षे0प्र0/सुरक्षा गार्ड प्रस्ताव/17 दिनांक 15–04–2017

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि प्रस्ताव आंमत्रण नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें :–

1– अपर प्रबंध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2– वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3– मुख्य प्रधान प्रबंधक,(प्रशासन/संचालन) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
4– प्रधान प्रबंधक,(बस स्टेशन/एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि परिवहन निगम के बेवसाईट पर प्रस्ताव/टेण्डर को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक (वाराणसी/कानपुर/आगरा/नोएडा/सहारनपुर/झाॅसी/बरेली/गाजियाबाद/मेरठ/ आजमगढ़/फैजाबाद/देवीपाटन/चित्रकूटधाम/मुरादाबाद/अलीगढ़/इटावा/हरदोई/गोरखपुर/इलाहाबाद)उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक प्रसार एवं प्रचार हेतु इस विज्ञप्ति की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5– सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक,(वित्त/कार्मिक) उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र।
6– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि वे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
7– नोटिस बोर्ड/गार्ड पत्रावली।

(ए0के0सिंह)
क्षेत्रीय प्रबंधक

Downloaded from www.upsrtc.com